न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 33/2022/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक 09.03.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

धन्नालाल पुत्र स्वर्गीय श्री मोतीलाल उर्फ मोत्या जाति रैगर निवासी कांसो का मौहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान

....अपीलाण्ट

बनाम

1. चम्पालाल पुत्र नारायण
2. हुकमचंद पुत्र नारायण
3. लक्ष्मीचंद पुत्र नारायण
   जाति रैगर निवासीगण ग्राम अटरू तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
4. नट्टी बाई पुत्री नारायण पत्नी राजूलाल जाति रेगर निवासी रेगर का मौहल्ला मांगरोल जिला बारां राजस्थान
5. रमेशी बाई पुत्री नारायण पत्नी राजेन्द्र रैगर जाति रैगर निवासी रैगरो का मोहल्ला मांगरोल जिला बारां राजस्थान
6. सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरूं जिला बांरा राजस्थान

...रेस्पोडेण्टस

उपस्थित : श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत –अभिभाषक अपीलांट्स
श्री अशोक मीणा– अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 3
पेरोकार सरकार – रेस्पो क्र. 6

::निर्णय::

दिनांक 25.02.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां द्वारा प्रकरण संख्या–4/2011 उनवान मुकदमा धन्नालाल बनाम चम्पालाल वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के यहां प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआएक्ट का

25/2/2025
अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के पिता मोत्या पुत्र कान्हा के खाते एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एवं माल अटरू की ख.नं0 3197/1080 का रकवा 3 विस्वा दर्ज खाता चली आ रही थी जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2013 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात फोती इन्तकाल में उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता एवं काली बाई बहिन एवं लछमा बेवा मोत्या का नाम खाते दर्ज हो गया लेकिन सेटलमेन्ट की गलती से नया नम्बर 1264 बनाकर केवल नारायण के खाते दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी के स्व० पिता नारायण जो कि प्रार्थी का भाई था के संयुक्त रूप से खाते दर्ज करनी चाहिए थी। मौके पर विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के 1/2–1/2 कब्जे एवं स्वामित्व में चली आ रही है नारायण की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी अप्रार्थी के खाते में दर्ज कर दी। वर्तमान सलमेन्ट ने ख0नं0 1264 का ख0नं0 1283 की 0.02 है०, ख0नं0 1284 की 0.02 है० ख०न० 1285 की 0.03 है0 बना कर अप्रार्थीगण 1 ता 5 के खाते अप्रार्थी क्रम 6 ने दर्ज करदी। सेटलमेन्ट की उक्त त्रुटि को प्रार्थी दुरूस्त करवा कर उक्त आराजी को हिस्सा 1/2 में अपने नाम दर्ज कराने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश कर नवीन ख0नं0 1283 का रकबा 0.02 है0 1284 की 0.02 है0, 1285 की 0.03 है० आराजी का इन्द्राज दुरूस्त करवाया जाकर प्रार्थी के खाते हिस्सा 1/2 तथा अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 5 के हिस्सा 1/2 पृथक–पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी क्रम 6 को प्रदान करने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट एवं अप्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम अटरू की ख0नं0 1283 रकबा 0.02 है०, ख0न0 1284 रकबा 0.02 है० ख0नं0 1285 रकबा 0.03 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.07 है0 में से 0.0275 है० अर्थात 35×60 वर्गफुट प्रार्थी/अपीलांट धन्नालाल के पश्चिम साइड़ व शेष 0.0450 है० अर्थात 65×70 पूरब साइड की अप्रार्थीगण/रेस्पो0 के खाते दर्ज किये जाने तथा देवस्थान पर आने जाने हेतु विवादित आराजी में से 10 फुट चौड़ाई में रास्ता उत्तर दिशा में पूरब से पश्चिम छोड़े जाने का उक्तानुसार तहसीलदार अटरू इन्द्राज दुरूस्त करते हुये प्रार्थी/अप्रार्थीगण के खाते दर्ज करने का आदेश दिनांक 20.12.2017 पारित किया गया।

2. अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पो० क्रम 1 लगायत 5 के मध्य विधिविरूद्ध रूप से राजीनामा प्रस्तुत हुआ जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेरे आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही फरमाया कि अपीलाण्ट का अपील विषयक आराजी मे 1/2 हक हिस्सा निहित चला आ रहा है। ओर उक्त हिस्से पर अपीलाण्ट बतौर मालिक काबिज है। 1/2 हिस्से के अनुसार अपीलाण्ट को 0.0350 हैक्टर भूमि प्राप्त होनी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने 0.0275 हैक्टर

अति. सं. आयुक्त
कोटा

अपीलाण्ट के खाते दर्ज करने का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित दिया इस प्रकार अपीलाण्ट के 0.0075 हैक्टर कम दर्ज करने का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। कानूनन राजीनामे पर सभी पक्षकारो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है केवल कुछ पक्षकारो द्वारा किये गये हस्ताक्षर के अनुसार सम्पूर्ण पक्षकारान के हस्ताक्षर मानते हुये आदेश पारित नही किया जा सकता है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध एंव त्रुटिपूर्ण तरीके से किये गये राजीनामे को तस्दीक कर आदेश जैर अपील पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.12.2017 को निरस्त फरमायी जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पो० क्रम 1 लगायत 5 के मध्य विधिविरूद्ध रूप से राजीनामा प्रस्तुत हुआ जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेरे आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही फरमाया कि अपीलाण्ट का अपील विषयक आराजी मे 1/2 हक हिस्सा निहित चला आ रहा है। 1/2 हिस्से के अनुसार अपीलाण्ट को 0.0350 हैक्टर भूमि प्राप्त होनी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने 0.0275 हैक्टर अपीलाण्ट के खाते दर्ज करने का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.12.2017 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि राजीनामे के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.12.2017 पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा 4 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी का पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामे पर अपीलांट के स्वयं के हस्ताक्षर है। उभयपक्ष राजीनामे से बाध्य है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

25/2/2025

7. हमने पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.12.2017 को प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार निर्णय किया गया। उक्त राजीनामे पर अपीलांट के हस्ताक्षर है जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा इन्कार नहीं किया गया हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर निर्णय किया है, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर होने से वह Principal of estoppel (विबंधन के सिद्धान्त) से बाध्य है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2017 न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

25/2/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा